न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 61/2017

अनवान :

1. हनुमान प्रसाद पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)

– प्रार्थी

बनाम

1. बहादूर सिंह पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 8(2) राजस्थान कॉलोनाईजेशन कडिशनस 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण **: प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 4.1.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक नं0 10एनटीआर के खाता सं0 6/61(2) में मुरबा नं0 26 के किला नं0 9/2 की 0.057 है0 किला नं0 12/2 की 0.057 है0 किला नं0 19 की 0.253 है0 किला नं0 22 की 0.253 है0 इसी तरह मुरबा नं0 33 के किला नं0 13/1 की 0.190 है0, किला नं0 14 की 0.253 है0, इस प्रकार खाते का कुल योग 1.063 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 बहादूरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है।

चक नं0 10 एनटीआर के खाता सं0 6/61 (3) के मु0नं0 26 के किला नं0 8/2 की 0.089 किला नं0 9/3 की 0.152 है0 किला नं0 12/3 की 0.152 है0 किला नं0 13 की 0.089 है0 इसी तरह मु0नं0 33 के किला नं0 5 की 0.253 है0 किला नं0 6/1 की 0.202 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 0.937 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हनुमान प्रसाद के नाम खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने व हमारे भाईयों ओमप्रकाश व बनवारीलाल ने आपसी सहमति से हमारी कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा लिया था व मौके पर आई भूमि में आवागमन करने के लिए अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में आई कृषि भूमि के मुरबा नं0 26 के किला नं0 19 व 22 दोनों किलो में 0.013 है0 प्रत्येक किला में पूर्वी पासा में रास्ता आवागमन हेतु रख लिया था व इसी मुताबिक कृषि भूमि की कम ज्यादा हिस्से में बंटवारा कर लिया था लेकिन सहबन से उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज

नहीं करवा सके जबकि उपरोक्त रास्ता हम लगातार काम में ले रहे है पूर्व में मुरबा नं0 22 के दक्षिणी दिशा के चिपते, पूर्व पश्चिमी पहले से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

किला नं0 19 व 22 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज न होने के कारण प्रार्थी को भविष्य में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। अप्रार्थी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 10 एनटीआर में चालु शुदा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। एक काश्तकार को अपनी काश्त की सार–सम्भाल व कृषि उत्पाद को ढोने के लिए रास्ता की आवश्यकता होती है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है व दोनों पक्ष पूर्व में छोड़े गये रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के लिए सहमत है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 8(2) राजस्थान कॉलोनाईजेशन कडिशनस 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा चक 10एनटीआर के मुरबा नं0 26 के किला नं0 19 व 22 दोनों किलो में 0.013 है0 प्रत्येक किला में पूर्वी पासा में उतर – दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़